मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे / सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

दि. 29.11.2010

सभी संबंधित
पुणे मंडल

<u>संरक्षा परिपत्र संख्या - 11 / 2010-11</u>

विषय – खतरा सिगनल पार करने के कारण होनेवाली घटनाओं को रोकने के लिए लोको कैब में मोबाईल फोन का उपयोग करने पर प्रतिबंध ।

संदर्भ – मुख्य संरक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र सं. एस एफ टी / IV / टेली दि. 25.11.2010

लोको पायलटों द्वारा सिगनल खतरे की स्थिति में रहते हुए गाड़ी गुजरने के कारण होनेवाली घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य संरक्षा अधिकारी के संदर्भित पत्र में बताई गई मुख्य बातें निम्मप्रकार से है :-

लोको पायलट / सहायक लोको पायलटों को पहले से ही यह ज्ञात होना चाहिए, कि गाड़ी पर कार्य करते समय मोबाईल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

लोको पायलट / सहायक लोको पायलट को गाड़ी पर कार्य करते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने के लिए जारी अनुदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए ।

लोको पायलटों / सहायक लोको पायलटों के लिए नामित किए गये लोको निरीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि इसके बावजूद लोको पायलट / सहायक लोको पायलट उनके निजी मोबाईल फोन लेकर जाते हैं तो उसके उपयोग पर बिलकुल प्रतिबंध है और गाड़ी पर कार्य करते समय उनके द्वारा अपने मोबाईल फोन बंद रखना चाहिए ।

पायदान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को गाड़ियों के सुरक्षित एवं सुचारू संचलन के लिए कर्मीदल सदस्यों के व्यवधान को टालने के लिए ड्राईवर कैब में अपने मोबाईल फोन बंद रखने चाहिए ।

कृपया अनुदेशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें ।

(सु. रविचंद्रन)
मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे